

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

आरएफपी संदर्भ सं. :- रा.आ.बैंक(नदि)/जीएडी/ आउट01254/2022 दिनांकित 10.03.2022

दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

उप महाप्रबंधक  
सामान्य प्रशासन विभाग  
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली - 110 003  
फोन: 011-39187149  
ईमेल: [sachin.sharma@nhb.org.in](mailto:sachin.sharma@nhb.org.in)

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तिथि	10.03.2022
2.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	17.03.2022: 1800 HRS
3.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	21.03.2022: 1200HRS
4.	बोली खोलने का स्थान	सामान्य प्रशासन विभाग प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

नोट: -

- उपरोक्त उल्लिखित अनुसार बोलीदाताओं की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके सूचित की जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय एवं स्थान तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जाएगी।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

**2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में और एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित हैं।

**3. कार्य क्षेत्र:**

बैंक निम्नलिखित स्थानों पर अपने फ्लैटों में संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशकारी परीक्षण करने की योजना बना रहा है:

बिल्डिंग/ब्लॉक नं.	नई दिल्ली में स्थान और	फ्लैटों की सं.	निर्मित क्षेत्र (लगभग)	बेसमेंट/गैरेज
1	सी 20 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट (सामान्य क्षेत्र के साथ)	3,755 वर्ग फीट	00
2	सी 21 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट (सामान्य क्षेत्र के साथ)	3,755 वर्ग फीट	00
3	सी 22 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट (सामान्य क्षेत्र के साथ)	3,880 वर्ग फीट	00
4	सी 23 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट (सामान्य क्षेत्र के साथ)	3,880 वर्ग फीट	00
5	सी 33, जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	4,017 वर्ग फुट + 689 वर्ग फुट (बेसमेंट)	01
6	सी 34 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	4,017 वर्ग फुट + 689 वर्ग फुट (बेसमेंट)	01
7	सी 35 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	3,985 वर्ग फीट + 682	01

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

			वर्ग फीट (बेसमेंट)	
8	बी 36 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	3,985 वर्ग फीट + 682 वर्ग फीट (बेसमेंट)	01
9	बी 37 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	3,955 वर्ग फीट + 676 वर्ग फीट (बेसमेंट)	01
10	बी 38 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	3,955 वर्ग फीट + 676 वर्ग फीट (बेसमेंट)	01
11	बी 39 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	3,883 वर्ग फीट + 1312 वर्ग फीट (बेसमेंट)	01
12	सी 40 जंगपुरा	03 (सामान्य क्षेत्र और बेसमेंट के साथ)	3,846 वर्ग फुट + 656 वर्ग फुट (बेसमेंट)	01

\* सभी ब्लॉकों की कंपाउंड वॉल के लिए अनुमानित क्षेत्रफल 31,000 वर्ग फीट (अतिरिक्त) है

**क. कार्य क्षेत्र ((बैंक के विवेक पर भिन्न होने के अधीन))**

1. इंडियन सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक लेखा परीक्षा गुणात्मक मूल्यांकन के रूप में किया जाएगा। क) प्रारंभिक डेटा का संग्रह; बी) पूर्व-मरम्मत सर्वेक्षण ग) लाइट टैपिंग हैमर का उपयोग करके आंतरिक, बाहरी और सामान्य क्षेत्रों को कवर करने वाली बिल्डिंग का दृश्य स्वास्थ्य निरीक्षण, घ) फ्लोर योजनाओं में सभी दृश्य दोषों, गिरावट और मात्रा का अंकन करना। उपरोक्त स्थानों में निष्कर्षों को शामिल करके दृश्य निरीक्षण करने के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
2. साइट के लिए कैलिब्रेशन चार्ट के साथ एनडीटी (गैर-विनाशकारी परीक्षण) के माध्यम से आरसीसी सदस्यों के क्षतियों का आकलन। उपर्युक्त 12 ब्लॉकों में से प्रत्येक में निम्नलिखित गैर-विनाशकारी परीक्षण करना। प्रत्येक ब्लॉक में किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या, इन बिल्डिंग /संरचना के निवासियों/उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग/संरचना की संरचनात्मक स्थिरता का पता लगाने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स द्वारा परिभाषित मानक मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी।

प्रत्येक ब्लॉक के लिए परीक्षणों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए, लेकिन तालिका क में दिए गए परीक्षण की सूची तक ही सीमित नहीं है।

तालिका क

क्र. सं.	एनडी टेस्ट
1	डिजिटल रिबाउंड हैमर टेस्ट
2	अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट
3	संक्षारण मानचित्रण के लिए हाफ सेल पोर्टेशियल टेस्ट
4	कार्बोनेशन डेप्थ टेस्ट
5	कोर टेस्ट
6	रेबार लोकेटर

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

7	क्लोराइड, सल्फेट सामग्री और पीएच के माप सहित कंक्रीट के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण
8	कोई अन्य परीक्षण, यदि आवश्यक हो

3. रा.आ.बैंक के पास एजेंसी के प्रतिनिधि एवं रा.आ.बैंक के प्रभारी अधिकारी/बैंक इंजीनियर द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के अनुसार परीक्षणों की संख्या बढ़ाने तथा घटाने का अधिकार सुरक्षित है।
4. क्षति के संभावित कारणों, रिसन/रिसाव एवं बाहरी प्लंबिंग प्रतिष्ठानों की स्थिति का पता लगाना।
5. ड्राइंग, विनिर्देशों, आदि बनाने में परिवर्धन/परिवर्तन करने के संबंध में उपरोक्त कार्य के संबंध में, जहां कहीं आवश्यक हो, रा.आ.बैंक के अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेना।
6. आवश्यकतानुसार या यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त नगरपालिका प्राधिकरण/सरकारी प्राधिकरण आदि हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त करना।
7. प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित युक्त अंतिम रिपोर्ट:
  - क. विस्तृत दृश्य निरीक्षण से निष्कर्ष
  - ख. गैर-विनाशकारी परीक्षा परिणाम
  - ग. दृश्य निरीक्षण एवं एनडीटी परिणाम के आधार पर संरचनात्मक मूल्यांकन का विस्तृत विवरण/जांच।
  - घ. सुझाए गए उपचारात्मक उपाय

**5. बोलीदाताओं के लिए निर्देश**

**5.1 सामान्य:-**

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं। इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम: सचिन शर्मा पदनाम: प्रबंधक ईमेल आईडी: Sachin.sharma@nhb.org.in फोन नंबर: +91-11- 39187149	नाम: सौरव सील पदनाम: उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: <a href="mailto:sourav.seal@nhb.org.in">sourav.seal@nhb.org.in</a> फोन नंबर: +91-11-39187104
--	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 1030 घण्टे से सायं 1730 घण्टे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक, पीएसयू या पीएसबी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया गया हो।
- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रस्ताव/बोली जमा करने से पहले, बोलीदाता बोली-पूर्व बैठक के लिए नियत दिन पर रा.आ. बैंक के प्रधान कार्यालय की साइट पर आ सकते हैं, जहां यह कार्य निष्पादित किया जाना है।

## 5.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा / आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

### 5.3 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 5.4 मिटाना अथवा संशोधन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 5.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।
- संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### 5.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

### 5.7 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में विनिर्दिष्ट मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के समय-समय के पास इस आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

### 5.8 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
4. अनुबंध IV में वचनपत्र पूर्व योग्यता पर वचनपत्र;
5. अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र
6. वाणिज्यिक बोली प्रारूप: अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में;
7. अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. अनुलग्नक VIII में निर्धारित प्रारूप में संकल्प मैट्रिक्स
9. अनुलग्नक IX में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)
10. अनुलग्नक XII के अनुसार वचनपत्र
11. अनुलग्नक XIII के अनुसार घोषणा।
12. अनुलग्नक XIV में निर्धारित प्रारूप में योग्यता पत्र;
- 13.

### 5.9 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी और सभी स्थानों पर उपयोग की जायेगी।

### 5.10 बयाना जमा राशि (ईएमडी)/बोली सुरक्षा घोषणा

(क) सभी बोलियां नीचे उल्लिखित प्रारूप के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा शामिल होनी चाहिए:

#### बोली-सुरक्षा घोषणा

उप महाप्रबंधक (परिसर)

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

राष्ट्रीय आवास बैंक,  
भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली

संदर्भ: आरएफपी संदर्भ संख्या

मैं/हम ..... अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार घोषित करता हूँ/करते हैं:

मैं/हम समझते हैं कि, निविदा/बोली शर्तों के..... के खंड के अनुसार, बोलियों का बयाना राशि जमा के एवज में बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं/हम आपके द्वारा अधिसूचित अयोग्यता की तारीख से **तीन साल** की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी अनुबंध के लिए बोली लगाने से अयोग्य किये जा सकते हैं (नुकसान या किसी अन्य कानूनी सहारा का दावा करने के लिए रा.आ.बैंक के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना) यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा हूँ/रहे हैं,
- 2) मैंने/हमने बोली के रूप में या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया है या एकतरफा रूप से संशोधित कर दिया है।
- 3) रा.आ.बैंक द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति पर, मैं/हम निर्धारित सुरक्षा जमा जमा करने में विफल रहे या अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहे या नियमों और शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन शुरू करने में विफल रहे।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम:

\_\_\_\_\_ के लिए और की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत:

दिनांकित \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ माह, \_\_\_\_\_ वर्ष।

(नोट: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर बोली सुरक्षा घोषणा होनी चाहिए।)

(ख) इस घोषणा के अभाव में आगे के मूल्यांकन के लिए बोली पर विचार नहीं किया जा सकता है। बोलीदाताओं को अनुलग्नक-VII में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रपत्र भी जमा करना अपेक्षित है।

(ग) इस घोषणा के बिना उचित रूप और तरीके से प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) इस आवश्यकता से छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

**5.11 कार्यान्वयन अनुसूची**

प्रस्तावित स्थानों पर किए जाने वाले कार्य के लिए आवश्यकता का आकलन और रिपोर्ट एवं मात्रात्मक बिल/निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करना। अनुमानित परियोजना लागत प्रदान करना	कार्य आदेश की स्वीकृति से 14 दिन
---	----------------------------------

- प्रत्येक दिन की देरी के लिए कोट किये गये शुल्क का 0.2% अर्थदंड लगाया जाएगा।

**5.12 बोलियों की वैधता अवधि**

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमते तथा अन्य शर्ते रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृत हेतु वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 12 माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

**5.13 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर**

प्रत्येक बोली दो भागों में जमा होगी:

- **भाग I:** अनुलग्नक V और VI को छोड़कर सभी अनुलग्नकों की बोली सुरक्षा घोषणा का प्रमाण शामिल है। उपरोक्त सामग्री "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित की जायेगी।
- **भाग II :** "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे, जिसमें केवल अनुलग्नक V और VI शामिल होंगे।
- मूल बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

**5.14 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन**

- मास्टर लिफाफे के ऊपर “दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव” लिखा हो और नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजा जाये:

**उप महाप्रबंधक**

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

परिसर विभाग  
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र  
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।

- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा और दोनों प्रस्तावों को एकल मास्टर लिफाफे में रखा जाएगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर “दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करने हेतु तकनीकी प्रस्ताव” तथा “दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशकारी परीक्षण आयोजित करने हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोलियां जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुईं उन पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

#### 5.15 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

#### 5.16 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

#### 5.17 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

**तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:**  
**परिसर विभाग**  
**मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक,**  
**कोर 5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,**  
**नई दिल्ली- 110003**

बोलीदाता का नाम या रा.आ.बैंक के विवेकाधिकार में अन्य विवरणों पर जैसा उपयुक्त हो, विचार किया जा सकता है, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषणा की जाएगी।

### **5.18 बोलियों का स्पष्टीकरण**

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### **5.19 प्रारम्भिक जांच**

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### **5.20 प्रस्ताव का स्वामित्व**

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक प्रलेखन तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा प्रलेखन लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### **5.21 बोलीदाताओं को निर्देश**

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

निपटाएगा।

### 5.22 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक VI** में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जायेगा। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा।
- जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान सांविधिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित पत्र सौंपने की तिथि/लेटर ऑफ अवार्ड (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि की स्वीकृति की तारीख होगी।
- कीमतें वाणिज्यिक बोली के खुलने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध होंगी और बोलीदाता उसी मूल्य पर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त वस्तुओं की आपूर्ति करेगा।

### 5.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

सेवा प्रदाता के पास इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

### 5.24 बोली मूल्यांकन

सबसे कम परियोजना लागत प्रस्तावित करने वाली बोली (**जेड: अनुलग्नक VI**) को परियोजना के लिए चुना जाएगा।

### 5.25 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

### 5.26 कीमतों का प्रकटीकरण

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्धाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

### 5.27 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है **अनुलग्नक- III** के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

### 5.28 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 5.29 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 5.30 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### 5.31 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

### 5.32 कानूनों का अनुपालन

- (क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- (ख) सफल बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- (ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत वेंडर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (घ) यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता को कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के आधार पर बाध्य या कार्य के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान करने हेतु कोई भी सांविधिक संशोधन करने या पुनः लागू करने बाध्य किया जाता है, तो नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत ठेकेदार के मुआवजे की राशि का भुगतान करने और मालिक के अधिकारों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हकदार होगा। नियोक्ता को इस अनुबंध या अन्यथा के तहत ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा प्रतिभूति जमा राशियां से या किसी भी देय राशि से उसे घटाकर ऐसी राशि या उसके किसी भाग को वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

### 5.33 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो बोली को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। बैंक उचित समझे जाने पर उचित कार्रवाई कर सकता है।
- यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बैंक पीबीजी के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

### 5.34 निश्चित समझौता

सफल बोलीदाता पत्र सौंपने/लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर **अनुलग्नक IX** में प्रदान किये गये प्रारूप में मूलतः सेवा स्तरीय करार (एसएलए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप करार/ करारों के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टॉप शुल्क और अन्य शुल्क/व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड संकल्प या मुख्तारनामा की प्रति यह प्रदर्शित करनी चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, संविदा और गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है, जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 5.35 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

बोलीदाता को **अनुलग्नक XI** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

**ख)** इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

**ग)** उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- i. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- ii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना**

- iii. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- iv. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

क) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

**6. न्यूनतम पात्रता मानदंड / पूर्व-योग्यता मानदंड**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**7. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें**

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता है

**7.1 मूल्य**

- a) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- b) मूल्य वाणिज्यिक कर के अनुसार सभी करों (जीएसटी को छोड़कर), कर्तव्यों, शुल्क, परिवहन, बीमा को शामिल किया जाना चाहिए।
- c) समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- d) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक से वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 12 महीने की वाणिज्यिक कीमत की वैधता अवधि के दौरान दोबारा आदेश दे सकता है।

**7.2 भुगतान की शर्तें**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**7.3 संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान**

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की संरचनात्मक लेखा परीक्षा एवं गैर-विनाशक परीक्षण आयोजित करना

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

*\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*